आदेश फलक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

<table>
<tr><th>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
केस का प्रकार– विविध अभिलेख वाद सं0– 01/2023-24</th><th>आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी सहित</th></tr>
<tr><td>30.05.2023</td><td>1) छेदी महतो पिता–स्व0 दिनु महतो, 2) झरी महतो पिता–स्व0 दुखन महतो, दोनों साकिन–ग्राम पंचायत जरीडीह पश्चिमी टोला, पो0–जरीडीह बाजार, थाना– गांधीनगर, जिला– बोकारो (प्रथम पक्ष) के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि गोपाल रविदास पिता–स्व0 भोली रविदास 2) बलदेव रविदास पिता–स्व0 नागेश्वर रविदास, दोनों साकिन–जरीडीह बस्ती रविदास टोला, पो0–जरीडीह बाजार, थाना– गांधीनगर, जिला– बोकारो (द्वितीय पक्ष) के द्वारा प्रथम पक्ष के खतियानी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। उक्त भूमि की विवरणी निम्नवत है:–

मौजा – जरीडीह; खाता – 43; प्लॉट – 1158; रकबा – 40 डी0

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को सभी मूल दस्तावेज दिखाने हेतु नोटिस निर्गत कर तामिला करायें।
अभिलेख दिनांक 06.06.2023 को उपस्थापित करें।

30/5/23
अंचल अधिकारी,
बेरमो (बोकारो)</td><td></td></tr>
<tr><td>06.06.2023</td><td>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त है अभिलेख में संलग्न है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सभी दस्तावेज के साथ उपस्थित हुयें। सभी दस्तावेज राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक को उपलब्ध करायें एवं जांच प्रतिवेदन की मांग करें।
अभिलेख दिनांक 13.06.2023 को उपस्थापित करें।

6/6/23
अंचल अधिकारी,
बेरमो (बोकारो)</td><td></td></tr>
<tr><td>13.06.2023</td><td>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–जरीडीह अन्तर्गत खाता नं0–43, प्लॉट नं0–1158, रकबा–40 डी0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रामधन महतो वगै0 के नाम से रैयती दर्ज है। प्रथम पक्ष के द्वारा खतियान एवं ऑनलाईन रसीद प्रस्तुत किया गया</td><td></td></tr>
</table>

13.06.2023	है। जिसके आधार पर विवादित भूमि पर दावा किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि S.O No.-4269 दिनांक–14.09.1985 के द्वारा DR&RD परियोजन हेतु सी0सी0एल0 बी0एण्ड0के0 के अधिग्रहण मे है। परियोजना पदाधिकारी सीसी0एल0 DR&RD करगली के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेरमो को प्रेषित पत्र के माध्यम से उक्त खाता प्लॉट में सम्पूर्ण रकबा 40 डी0 में विधायक मद से स्कूल का मात्र एक कमरा बनाने हेतु अनापति दिया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा इसी पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत कर अपने पक्ष में दावा किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चुंकि संबंधित भूमि रैयती खाते की है तथा सी0सी0एल0 अधिग्रहण में है। अंचल स्तर पर विवादित भूमि का निबटारा नहीं किया जा सकता है। मामला सक्षम न्यायालय का प्रतीत होता है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित 13/6/23 अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो) 13/6/23 अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2023.06.13 16:04:38 +05:30
Location: 192.168.29.161